न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल के समक्ष,

वेद प्रकाश - याचिकाकर्ता
बनाम
भाना @जय भगवान,--प्रतिवादी

सी.आर.एल. एम. नं. 3285/एम ऑफ 2003
24 फ़रवरी 2004

भारतीय दंड संहिता, 1360-धारा 420-बीज अधिनियम, 1966 किसी कंपनी के पंजीकृत डीलर द्वारा बीज के रूप में प्रमाणित मटर की बिक्री - खराब गुणवत्ता और घटिया बीज बेचने के लिए डीलर के खिलाफ कृषक द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज की गई - ट्रायल कोर्ट ने धोखाधड़ी का अपराध करने के लिए डीलर को तलब किया - डीलर ने किसी कंपनी के केवल प्रमाणित बीज ही निर्धारित दर पर बेचे, न तो डीलर का प्रतिवादी को धोखा देने का कोई बेईमान इरादा था और न ही डीलर को कोई गलत लाभ हुआ था - डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध नहीं बनता है -ट्रायल कोर्ट द्वारा डीलर को तलब करना पूरी तरह से अनुचित है और यह कोर्ट की शिकायत और समन के आदेश को रद्द करना चाहिए।

निर्धारीत किया गया है कि याचिकाकर्ता केवल एक पंजीकृत डीलर है और उसने प्रतिवादी को प्रमाणित बीज एक निश्चित कीमत पर बेचे है। जब याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को बीज बेचे गए, तो कोई बेईमानी का इरादा नहीं था। याचिकाकर्ता ने लाइसेंस प्राप्त कंपनी से प्रमाणित बीज खरीदे और उसे निर्धारित मूल्य पर प्रतिवादी को बेच दिए । उस समय, प्रतिवादी को धोखा देने या कोई गलत लाभ प्राप्त करने का कोई बेईमान इरादा नहीं था। यदि केवल बीज उचित उपज नहीं देता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई धोखाधड़ी हुई थी, जिसने प्रतिवादी को प्रमाणित बीज की आपूर्ति की थी।

(पैरा 6)

आगे निर्धारित किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने कोई कारण दर्ज नहीं किया है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध कैसे किया है। शिकायत को पढ़ने से, आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के मूल तत्वों का पता नहीं चल पाया है। केवल इसलिए कि शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि धोखाधड़ी का अपराध किया गया है, यह प्रथम दृष्टया नहीं कहा जा सकता कि अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है। शिकायत में याचिकाकर्ता को तलब करना पूरी तरह से अनुचित है और अदालत की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। इस न्यायालय के पास संहिता की धारा 482 के तहत तलब करने की चरण में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, जब यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो।

(पैरा 8)

आर.के. जैन, याचिकाकर्ता के वकील।
राजेश अरोड़ा, प्रतिवादी के वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल,

(1) याचिकाकर्ता वेद प्रकाश, जो मेसर्स सैनी बीज भंडार, ऑपोसीट न्यू ग्रेन मार्केट, कुरूक्षेत्र के मालिक हैं उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत दायर शिकायत दिनांक 14 मार्च, 2001 (अनुलग्नक पी-1) को रद्द करने के साथ-साथ समन दिनांक 20 फरवरी 2002 (अनुलग्नक पी-2) जारी करने के विरुद्ध यह याचिका दायर की है।

(2) याचिकाकर्ता एक पंजीकृत डीलर है जो विभिन्न कंपनियों के प्रमाणित बीज बेचता है। प्रतिवादी ने खुद को कृषक बताते हुए दिनांक 14 मार्च, 2001(अनुलग्नक पी-1) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरूक्षेत्र की अदालत में याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 के तहत में शिकायत दर्ज कराई।सितमबर 20002 में याचिकाकर्ता ने कंपनी के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर उसके गांव में व्यापक प्रचार किया और प्रतिवादी सहित किसानों को सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए मटर के बीज की गुणवत्ता अच्छी है। प्रतिवादी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि 18 सितंबर, 2000 को उसने 30 किलोग्राम मटर के बीज खरीदे थे । याचिकाकर्ता ने उन्हे अपने खेतों में बोए लेकिन वे अंकुरित नहीं हुए थे। आरोप था कि बीज घटिया गुनवाता के थे। प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि 3 अक्टूबर, 2000 को वह फिर से याचिकाकर्ता की दुकान पर गया और एक और मटर के बीज खरीदे जिसकी राशि रु 1,500 जिनका वजन 40 किलोग्राम था। इन्हें भी खेत में बोया गया लेकिन उनकी भी उचित फसल नहीं हुई। शिकायत (अनुलग्नक पी-1) में, प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि उसने इस संबंध में उपायुक्त, कैथल को शिकायत की और कृषि विद्या केंद्र के साथ-साथ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि बीज निम्न गुणवत्ता और निम्न स्तर का था। इसलिए खराब गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति करके, याचिकाकर्ता ने अपने को गलत लाभ और प्रतिवादी को गलत नुकसान करने के लिए धोखा दिया है। प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि इस संबंध में नुकसान के लिए उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, कुरुक्षेत्र के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज कराई है जो अभी लंबित है ।

(3) उक्त शिकायत (अनुलग्नक पी-1) के आधार पर, याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा 20 फरवरी, 2002 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के तहत बिना दिमाग लगाए तलब किया गया है:

> "सुन लिया । शिकायत के साथ-साथ प्रारंभिक साक्ष्य और मामले के रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वर्तमान मामले में आरोपी ने आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया है। अभियुक्त को सम्मन करने के लिए कोई विस्तृत कारण दिया जाना आवश्यक नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित केस यू पी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मेसर्स मोहन मीकिन्स लिमिटेड और अन्य 2000 (2) आरसीआर 421 में कानून के मद्देनजर, अभियुक्त को 25 मार्च, 2002 को आर.एफ.समन प्रपत्र एवं उसकी प्रति शिकायत आदि दाखिल करने पर उपरोक्त अपराध के मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया। "

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलील पेश की कि शिकायत (अनुलग्नक पी-1) को पढ़ने से और यहां तक कि उसमें लगाए गए आरोपों को सच मानने पर भी आईपीसी की धारा 420 के तहत याचिकाकर्ता को समन करना नहीं बनता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 415 के तहत परिभाषित 'धोखाधड़ी' की परिभाषा के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से न तो प्रतिवादी को धोखा देने का कोई बेईमान इरादा था और न ही याचिकाकर्ता ने कोई गलत लाभ उठाया

था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता केवल आर्कल कंपनी के प्रमाणित बीज का वितरक है। उन्होंने बिक्री के उद्देश्य से उक्त कंपनी से 6 सितंबर, 2000 के कैश मेमो (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से प्रमाणित बीज खरीदा और उसी बीज को 3 अक्टूबर, 2000 के केस मेमो (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से प्रतिवादी को बेच दिया। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा बेचा गया बीज, बीज अधिनियम, 1966 के तहत प्रमाणित बीज था, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी को धोखा देने का कोई बेईमान इरादा था । प्रतिवादी का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए बीज प्रमाणित बीज नहीं थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि प्रतिवादी द्वारा बोया गया बीज खराब गुणवत्ता के कारण पैदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि निर्धारित सीमा तक बीज पैदा न कर पाने के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता इसके लिए जिम्मेदार था और उसने धोखाधड़ी का अपराध किया है।

(5) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए बीज खराब गुणवत्ता के थे। प्रतिवादी के आवेदन पर, उसके क्षेत्र का निरीक्षण डॉ. सी.पी. मेहला, सहायक प्रोफेसर द्वारा किया गया, जिन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:-

(i) सभी पौधे अपनी वृद्धि और विकास में एक समान नहीं है।

(ii) योजना की ऊंचाई के संबंध में फसल में बड़ी जटिलता है।

(iii) लम्बे पौधे लम्बी छोटी वृद्धि के आकार के होते हैं जो पौधों की असामान्य प्रकार का रूप है।

इसलिए, याचिकाकर्ता को इस तथ्य की जानकारी थी कि बीज अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि वर्तमान मामले में धोखाधड़ी के सभी तत्व मौजूद हैं और इसलिए, प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत रद्द करने योग्य नहीं है।

(6) पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनने और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, मेरी राय यह है कि यह याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। याचिकाकर्ता केवल एक पंजीकृत डीलर है और उसने प्रमाणित बीज प्रतिवादी को एक निश्चित कीमत पर बेचे है । जब याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को बीज बेचे गए, तो कोई बेईमानी कि मंशा नहीं थी । याचिकाकर्ता ने लाइसेंस प्राप्त कंपनी से प्रमाणित बीज खरीदे और उसे निर्धारित मूल्य पर प्रतिवादी को बेच दिया। उस समय, प्रतिवादी को धोखा देने या कोई गलत लाभ प्राप्त करने का कोई बेईमान इरादा नहीं था। प्रतिवादी का आरोप है कि उसके द्वारा खरीदे गए बीज खेत में बोए गए थे, लेकिन वे ठीक से अंकुरित नहीं हुए। उनसे उचित उपज नहीं मिली । इस संबंध में सहायक प्रोफेसर डॉ. सी.पी. मेहला की रिपोर्ट, जिस पर प्रतिवादी ने भरोसा किया उससे उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पौधे को एक समान तरीके से अंकुरित न करने के कई कारण हो सकते हैं जैसे उचित समय पर पानी न देना या अधिक पानी देना और एक निश्चित समय पर विशिष्ट उर्वरक का उपयोग न करना आदि। लेकिन केवल अगर बीज उचित उपज नहीं देता है, तो यह यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई धोखाधड़ी हुई हो जिसने प्रतिवादी को प्रमाणित बीज की आपूर्ति की। प्रतिवादी ने क्षतिपूर्ति के लिए पहले ही जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, कुरूक्षेत्र के समक्ष शिकायत दर्ज करा दी है, जो अभी भी लंबित है। यदि यह पाया जाता है कि बीज कंपनी द्वारा निर्धारित फसल नहीं देता है तो प्रतिवादी को मुआवजा मिलेगा । लेकिन जहां तक धोखाधड़ी के अपराध का सवाल है, मेरी राय में, यह शिकायत में कथित तथ्यों (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार नहीं बनता है। तत्काल शिकायत और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता का न तो प्रतिवादी को धोखा देने का कोई बेईमान इरादा था और न ही कोई गलत लाभ लेना था। उसने प्रतिवादी को मटर का प्रमाणित बीज ही निर्धारित दर पर बेचा था।

(7) मौजूदा मामले में, ट्रायल कोर्ट ने बिना दिमाग लगाए ही आक्षेपित समन आदेश (अनुलग्नक पी-2) पारित कर दिया था । न तो कोई कारण दर्ज किया गया है और न ही इसका खुलासा किया गया है कि धारा 420 आई. पी.सी. के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला केसे बनाया गया है। केवल यह देखा गया है कि प्रारंभिक साक्ष्य और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है। कारणों को दर्ज करने के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तों को तलब करने के लिए किसी विस्तृत कारण की आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय **यू .पी . प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मोहन मीकिन्स लिमिटेड और अन्य**[1] के फैसले पर भरोसा किया गया है। मेरी राय में, इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है और टिकाऊ नहीं है। समनइंग आदेश जारी करने से पहले एक निजी शिकायत में ट्रायल कोर्ट को अपना दिमाग लगाना आवश्यक है और फिर प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर और रिकॉर्ड पर दस्तावेज़ों पर राय बनानी होती है कि प्रथम दृष्टया जिस व्यक्ति को बुलाया गया है उसने संज्ञेय अपराध किया है। **मेसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य**[2] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारणा दी है जो है :-

> ..... किसी आपराधिक मामले में आरोपी को तलब करना गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को निश्चित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपराधिक कानून को अमल में लाने के लिए शिकायतकर्ता को शिकायत में अपने आरोपों के समर्थन में केवल दो गवाह लाने होंगे। अभियुक्त को बुलाने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के सबूतों की जांच करनी होगी और कि क्या यह शिकायतकर्ता के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा।"

(8) ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने आदेश में उल्लिखित निर्णय तत्काल मामले में लागू नहीं है। उस फैसले में यह कहीं भी नहीं कहा गया था कि किसी निजी शिकायत में आरोपी को तलब करते समय मजिस्ट्रेट को मौखिक आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट ने कोई कारण दर्ज नहीं किया है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध कैसे किया है। शिकायत को पढ़ने से मेरी राय में, धारा 420 आइ.पी.सी. के तहत अपराध के मूल तत्व नहीं बनते है। केवल इसलिए कि शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि धोखाधड़ी का अपराध किया गया है, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध आरोपी द्वारा किया गया था। मेरी राय में, शिकायत (अनुलग्नक पी-1) में याचिकाकर्ता को बुलाना पूरी तरह से अनुचित है और अदालत की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। इस न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत सम्मन चरण में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, जब यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो।

(9) उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। तदनुसार, शिकायत दिनांक 14 मार्च, 2001 (अनुलग्नक पी-1) और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2002 (अनुलग्नक पी-2) को रद्द किया जाता है।

---

[1] 2000 (2) आर.सी.आर. 421

[2] एआईआर 1998 एस.सी. 128

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी

Hardik Sachdeva

Trainee Judicial Officer

Place of Posting: Bhiwani